बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 278765 पटना, दिनांक 20.07.2016
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(2016-17 कार्य योजना)-102-41/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना मद की जिला एवं प्रखण्डों में अव्यवहृत अवशेष राशि को विभागीय मुख्यालय स्तर पर संधारित State Rural Housing Fund नाम के बैंक खाता में हस्तांतरित करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्र संख्या-270086 दिनांक-28.04.16

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से इंदिरा आवास के लाभुकों को सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खाता में e-FMS के माध्यम से किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 से पूर्व के वर्षों के लाभुकों को भी द्वितीय/तृतीय/अग्रेत्तर किश्त की सहायता राशि e-FMS के माध्यम से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के फलस्वरूप योजना कार्यान्वयन मद की राशि जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर रखने की आवश्यकता नहीं रह गयी है क्योंकि लाभुकों को FTO के माध्यम से सहायता राशि का अंतरण State Nodal Account (State Rural Housing Fund) से होना है । ऐसी स्थिति में इंदिरा आवास योजना कार्यान्वयन मद की जिला एवं प्रखण्ड में उपलब्ध राशि पूर्ण रूप से State Nodal Account में जमा किया जाना है ।

इस संबंध में विभागीय पत्र संख्या-270086 दिनांक-28.04.16 द्वारा निदेश दिये गये थे किन्तु उक्त विभागीय निदेश के आलोक में कतिपय जिलों में जहाँ जिला स्तर से निधि का स्थानांतरण किया गया वहीं कतिपय जिलों में प्रखण्ड कार्यालयों के द्वारा सीधे निधि का हस्तांतरण कर दिया गया है । राशि हस्तांतरण की कार्रवाई में एकरूपता नहीं रहने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जिला एवं प्रखण्डों में कितनी राशि उपलब्ध थी और उनमें से कितनी राशि का हस्तांतरण हो सका और कितनी राशि का हस्तांतरण किया जाना बाकी है ।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित योजना से संबंधित सभी बैठकों में निधि हस्तांतरण की कार्रवाई का सुक्ष्मता से अनुश्रवण किया जा रहा है तथा प्रमाणिकता के साथ इसे सुनिश्चित किये जाने की ओर स्मारित भी किया जा रहा है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि अपने जिला एवं प्रखण्ड के इंदिरा आवास योजना संबंधी बैंक खाता/रोकड़ बही के आधार पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इंदिरा आवास योजना मद की अवशेष राशि पूर्ण रूप से State Nodal Account में हस्तांतरित कर दी गयी है तथा निम्न प्रपत्र में प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 20.07.16 तक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय :-

जिला एवं प्रखण्डों में इंदिरा आवास योजना मद की अवशेष राशि BRDS के संचालनाधीन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा-सोन भवन, पटना, खाता का नाम-State Rural Housing Fund, IFSC Code-BKID0004410, MICR Code-800013003 एवं खाता संख्या-441020110000167 में हस्तांतरण से संबंधित प्रतिवेदन

जिला का नाम :-

क्र0 सं0	**जिला/प्रखण्ड का नाम**	**इंदिरा आवास योजना की उपलब्ध राशि**	**जिला द्वारा State Rural Housing Fund नाम के बैंक खाता में हस्तांतरित राशि**
1	2	3	4

नोट :- (1) उपलब्ध राशि में से यदि हस्तांतरण हेतु राशि अवशेष हो तो उसे पूर्ण रूप से दिनांक 20.07.16 तक बैंक खाता में हस्तांतरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि जिला एवं प्रखण्डों में बैंक खाता एवं रोकड़ बही के आधार पर इंदिरा आवास योजना मद की कोई राशि हस्तांतरण के लिए अवेशष नहीं है ।

उप विकास आयुक्त का हस्ताक्षर

विश्वासभाजन

19/7/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव